प्रेषक, संख्या– पी 329 /81–2–2022–800(331)/2022

ओम प्रकाश
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2022

विषयः– जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वनभूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1213/11–सी–FP/UP/REHAB/149021/2021, दिनांक 30.09.2022 का (मूल रूप में) कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न बिन्दुओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संगत अभिलेखों सहित आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे :–

1– विषयगत प्रस्ताव विनिमय से संबंधित है अथवा लीज ? प्रस्ताव में ग्राम को बाढग्रस्त क्षेत्र में से ऊंचे क्षेत्र में शिफ्टिंग किये जाने से संबंधित प्रतीत होता है। इस संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में भारत सरकार के सुसंगत दिशा–निर्देश स्पष्ट करें।

2– आपके पत्र दिनांक 30.09.2022 के बिन्दु 9 में समतुल्य गैर वनभूमि की वानिकी उपयुक्तता के ग्राह्यता पर भी आख्या प्रस्तुत की जाय।

3– मुख्य वन संरक्षक,उ0प्र0 को संबोधित जिलाधिकारी, औरैया के पत्र दिनांक 22.08.2022 में उल्लिखित भूमि प्रबंधक समिति द्वारा विधिवत् प्रसताव पारित करने के उपरान्त विनिमय प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का कथन अंकित हैं। क्या इस संबंध में वन विभाग के नियमों/अधिनियमों से अवगत कराया गया था।

4– वन भूमि के विनिमय की अनुमन्यता के संबंध में प्राविधान स्पष्ट करें ?

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।
3– प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, तहसीलदार, राजस्व विभाग, औरैया।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव